सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

05/04/22.

पत्रावली आज पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 CPC का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1 के वारिसान के साथ-साथ प्रतिवादी नं. 2 भी [illegible] [illegible] है [illegible] वादीगण का प्रार्थना पत्र O6 R-17 CPC स्वीकार फरमाते हुए वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादी नं. 2 का भी प्रतिवादी नं. 1 के साथ [illegible] प्रतिवादी में शामिल किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता। वकील वादीगण [illegible] [illegible] साइन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:59:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पेश करना नहीं चाहते है। वादीगण साक्ष्य का मुकदमा बन्द किया जाता है वकील वादीगण के बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वादीगण का वाद पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम कानन नगर में खेत नं. 3/22 रकबा 30-00 बीघा एवं ग्राम मानकिशोरा के खेत ख.नं. 246 रकबा 18-00 बीघा, ख.नं. 275/1 रकबा 60-00 बीघा की पैतृक खातेदारी भी स्थापित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान है। प्रतिवादी नं 01 की उक्त भूमि विरासत में प्राप्त होने पर वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 के हक जन्म से पैदा हो गये है तथा उनके हक हिस्से मुताबिक उक्त आराजी में काबिज काश्त है वर्तमान में भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी नं. 01 के साथ खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय हजा में पेश किया गया है। वादीगण का [illegible] दर्ज [illegible] कर प्रतिवादी [illegible] नामान्तरण वापस किया गया। [illegible] कोसि शामिल मुस्तकिल रहने के अधिकारी (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:59:38 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड खसरा उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की विरासत में प्राप्त होने की पुष्टि होती है परन्तु वर्तमान में मृतक प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोस्टेट साक्ष्य से वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त भी जाहिर होता है। प्रस्तुत रेकर्ड से वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी सं0 01 के विधिक वारिसान होने की भी पुष्टि होती है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 01 के विधिक वारिसान होने व मृतक पैतृक होने से खातेदार में घोषित कराने के अधिकारी है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा भी बावजूद नोटिस तामील वादीगण के वाद पत्र का किसी प्रकार से विरोध नहीं किया गया है ऐसी सूरत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार होने से स्वीकार [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:59:38 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. हंजाराम पुत्र प्रहलादराम
2. मफी पुत्री प्रहलादराम
3. नवाराम पुत्र पूनमाराम
4. मूली पुत्री पूनमाराम
5. रमकू पुत्री पूनमाराम

जाति कलबी निवासी आमलियाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पूनमाराम पुत्र कानाराम
2. प्रहलादराम पुत्र पूनमाराम
3. हीराराम पुत्र किस्तूराराम
4. नरसीराम पुत्र किसतूराराम
5. पारूदेवी पत्नी किस्तूराराम
6. धनाराम पुत्र भावाराम
7. चांपाराम पुत्र भावाराम
8. उमाराम पुत्र भावाराम
9. केसीदेवी पत्नी भावाराम

जाति कलबी निवासी आमलियाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 वास्ते घोषणा

मुकदमा नम्बर :– 22/2019 निर्णय दिनांक :– 05.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुदई व ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसील गुड़ामालानी के पटवार क्षेत्र भेडाना के राजस्व ग्राम आनन्दनगर के खेत खसरा संख्या 3/22 रकबा 30–00 बीघा एवं ग्राम आमलियाला के खेत खसरा नम्बर 246, 275/1 रकबा क्रमशः 18–09, 60–00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/4/2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:59:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी